

पाब्लो नेरुदा के शव से क्या पता चलेगा?


चिली के मशहूर कवि पाब्लो नेरुदा के शव को उनके इस्ला नेग्रा स्थित मकबरे से निकाल लिया गया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि नोबेल पुरस्कार विजेता नेरुदा की मृत्यु के कारण का पता लगाया जा सके - उनकी मृत्यु प्रोस्टेट कैंसर से हुई थी या उन्हें ज़हर दिया गया था?

नेरुदा की मृत्यु 1973 में हुई थी और 2011 में उनके भूतपूर्व ड्राइवर मेनुअल अराया ने बयान दिया था कि उनकी मृत्यु का वास्तविक कारण एक इंजेक्शन था जो उन्हें 23 सितंबर 1973 के दिन दिया गया था जबकि यह उनके उपचार क्रम में शामिल नहीं था। ड्राइवर के इस बयान के बाद पूरे मामले की तहकीकात नए सिरे से हुई थी।

नेरुदा की मृत्यु तानाशाह ऑगस्टो पिनोशे के सत्ता में आने के मात्र 12 दिन बाद हुई थी। पाब्लो नेरुदा चिली के समाजवादी राष्ट्रपति आएंदे के समर्थकों में से थे और संदेह है कि कई अन्य लोगों की तरह उन्हें भी पिनोशे के शासन काल में परेशान किया गया होगा।

मगर सवाल यह है कि क्या मृत्यु के लगभग 50 साल बाद उनके शव के अवशेषों की जांच से मृत्यु के सही कारण तक पहुंचा जा सकेगा। चिली की मेडिको-लीगल सेवा के निदेशक पैट्रिशियो बस्टॉस स्ट्रीटर का मत है कि इतना लंबा समय अंतराल तो एक समस्या है ही। इसके अलावा एक समस्या यह भी है कि नेरुदा की बीमारी का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। यदि यह रिकॉर्ड उपलब्ध होता तो यह पता चल जाता कि वे कौन-कौन-सी दवाइयों का सेवन कर रहे थे। इसके आधार पर यह पता लगाया जा सकता था कि क्या ऐसे किसी पदार्थ के अवशेष उनके शव में हैं, जो नहीं होने चाहिए थे।

शव परीक्षण में संभवतः विशेषज्ञों को हड्डियों के अवशेषों के भरोसे रहना होगा। इनकी मदद से यह पता चल सकेगा कि उनका कैंसर कितना बढ़ चुका था। इसके अलावा हड्डियों के मुलायम भागों के विश्लेषण से यह पता लगाया जा सकेगा कि क्या उनमें कोई विषैले पदार्थ या ऐसे विषैले



पदार्थों के कुदरती विघटन से बनने वाले पदार्थों के अंश मौजूद हैं।

यदि विशेषज्ञों को ऐसे विषैले पदार्थ मिलते हैं, जो नहीं होने चाहिए, तो बात साफ हो जाएगी मगर कई विष ऐसे भी हैं जिनका पता लगाना कठिन होता है या जो कई अन्य गैर-विषैले पदार्थों के विघटन से शरीर में बनते-बिगड़ते रहते हैं। यह भी हो सकता है कि ऐसे पदार्थ पाए जाएं मगर उनकी मात्रा वगैरह का अंदाज़ न लगाया जा सके। यह भी संभव है कि नेरुदा की मृत्यु किसी कानून-सम्मत औषधि (जैस मॉर्फीन) की भारी मात्रा के सेवन से हुई हो।

जांच दल में मेडिको-लीगल सेवा के अध्यक्ष बस्टॉस के अलावा सेवा के चार अन्य सदस्य, तथा स्पैन व संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेषज्ञ शामिल हैं। इनके अलावा रेड क्रॉस और अर्जेंटाइना के अपराध वैज्ञानिकों को प्रेक्षक के तौर पर शामिल किया गया है। उम्मीद है कि इसके परिणाम अगले कुछ महीनों में मिल जाएंगे। (लेत फीचर्स)